भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 954432

वरिष्ठ कोषाधिकारी

**Govt. of Uttar Pradesh**

**Medical Health and Family welfare Department, Raebareli**

**AGREEMENT**

This Indenture made the 31 day of May-2016 for year 2016-17 & upto the next tender approved. Between **Shri Ashok Singh Secretary Dwarika Samaj Kalyan Samiti, Bachrawan, Raebareli** an (herein after called the "Contractor", which expression where the context so admits or implies includes his/their/its heirs, executors, administrators and assigns) of the one part and the Chief Medical Officer Secretary Distt. Health Society, Raebareli (here in after called the "Government" which expression where the context so admits or implies includes his successor in office and assigns) of the other part.

Whereas the Chief Medical Officer Secretary Distt. Health Society, Raebareli required the **Supply of Four Wheelar Commercial Vehicle 01 Nos in each CHC & PHC** -Bachrawan, Lalganj, Mahrajganj, Unchahar, Jagatpur, , Jatua-Tappa, Khiron Shivgarh, Amawan, Dalmou, Bela-Bhela, Harchandpur, Sareni ,Naseerabad, Deeh & Salon and 02 Vehicle at Under Dy CMO NHM Raebareli.

And whereas the contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions hereto attached (hereinafter caused the "the said conditions") the accepted rates Rs. 24444.00 Per Vehcile Per Month(Rs. Twenty Four Thousand Four Hundred Forty Four only) for **Supply of Four Wheelar Commercial Vehicle** for Monitring Work (hereinafter called the "The Contract Rate").

(ASHOK SINGH)

CHIEF MEDICAL OFFICER
RAE BARELI (U.P.)

## NOW IS HERE BY AGREED AS FOLLOWS

1- In consideration of sum be paid by District Health Society at the time and manner set forth in the said condition for Supply of Four Wheelar·Commercial Vehicle(Bolero).

2- The District Health Society Raebarely will pay the contractor the sum as shall become payable at the time and manner set worth in the said condition.

3- The said condition shall be read and contract as forming part of this contract act and the parties here to respectively shall abide, observe and perform and comply with the term stipulation and agreement there in constrained and on their part to be observed, performed and comply wit respectively.

4- That Tender Document, Later of Acceptance, Work Order will be deemed as the part of this agreement.

In witness where of parties here to signed this deed on the dates respectively shown against their signatures in the presence of –

(ASHOK SINGH)
**Contractor**
**Full Name & Address**

**Chief Medical Officer**
**Raebareli**
C.M. OFFICER
RAE BAREILI (U.P.)

## नियम एंव शर्ते

1. एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत जनपद के ब्लाक स्तर पर कामर्शियल वाहन बोलेरों, एंव जिला कार्यक्रम प्रबन्धक(डी.पी.एम.यू.) के कार्या0 के प्रयोग हेतु (बोलेरो) गाडी उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।
2. निविदाऐं दिनांक–30.04.2016 को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्या0 में रखे निविदा बाक्स में पड जानी चाहिये । डाक द्वारा प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा ।
3. निविदा के साथ अर्हताओं के लिफाफे में रू0 50,000.00 मात्र अर्नेस्टमनी जो कि जिला स्वास्थ्य समिति रायबरेली के पदनाम से बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य होगा । (अर्नेस्टमनी जो कि एन0एस0सी0,एफ0डी0आर0,टी0डी0आर0,बैंक ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिये) तथा निविदा स्वीकृत होंने के पश्चात् जमानत राशि विभाग की मॉग के अनुसार निविदादाता को जमा करनी होगी ।
4. निविदा दो लिफाफा प्राणाली के अन्तर्गत आमंत्रित की जा रही है जिसमें एक लिफाफा दरों का तथा एक लिफाफा अर्हताओं का होगा,अर्हता पूर्ण करने वाले निविदादाताओं का ही दरों का लिफाफा खोला जायेगा,दोनो लिफाफों को एक बडे लिफाफे में रखना होगा तथा लिफाफे पर कार्य का नाम,निविदादाता का नाम व पता सुस्पष्ट लिखकर निविदा बाक्स में डालना होगा ।
5. निविदादाता को अर्हताओं के लिफाफे में निम्न प्रपत्र संलग्न करना होगा।
   (1) अर्नेस्टमनी रू0 50,000.00
   (2) पैन कार्ड
   (3) निविदादाता/सेवा प्रदाता का वर्ष 2014–15 का टर्न ओवर जो कि रू0 50.00 लाख से कम का नही होना चाहिये जिससे सम्बन्धित सी0ए0 द्वारा जारी आडिटेड बैलेन्स शीट लगानी होगी ।
   (4) निविदादाता/सेवा प्रदाता का संस्था रजिस्ट्रशन प्रमाण पत्र (संस्था होने की दशा में)
   (5) रिलेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के पते का प्रमाण पत्र, प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण पत्र भरकर डालना होगा। जोकि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
   (6) किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग में वाहन उपलब्ध कराने का 03 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र
   (7) निविदाता/सेवा प्रदाता का सर्विस टैक्स में पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
   (8) निविदादाता/सेवा प्रदाता का विगत 03 वर्षो का आयकर अदेयता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
6. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर कामर्शियल वाहन( बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर का वैध लाइसेन्स, टैक्सी परमिट गाड़ी का वैध पंजीयन, गाड़ी का कम्प्रीहेन्सिव बीमा तथा गाड़ी का फिटनेस सहित)अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार उपलब्ध कराना होगा ।
7 अर्हताओं एवं दरों के लिफाफे के ऊपर साफ–साफ अक्षरों में आर्हताओं का लिफाफा एवं दरों का लिफाफा लिखना अनिवार्य है।
8. वाहन ब्लाक स्तरीय सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर कार्य सम्पादन के बाद भी सम्बन्धित अधिकारी के निर्देश पर चिकित्सालय में उपस्थित रहेगा तथा प्रभारी के निर्देश पर अन्य कार्य भी सम्पादित कराया जायेगा तथा वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराने नही होने चाहिये ।
9. उपलब्ध कराये गये सभी वाहनो के पास टैक्सी परमिट,विस्तृत बीमा(काम्प्रीहेनसिव बीमा) तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैसे–फिटनेस,पंजीयन,आदि उपलब्ध होना चाहिये ।
10. सेवा प्रदाता एजेन्सी को आवश्यकता पडने पर विभाग की मॉंग के अनुसार अतिरिक्त गाडियॉं उपलब्ध करानी होगी तथा यदि कार्य के समय गाडी में कोई खराबी आती है तो सेवा प्रदाता एजेन्सी को उसे तत्काल ठीक कराना होगा या ज्यादा खराबी आने पर उसके स्थान पर दूसरा कामर्शियल वाहन ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नही होगा ।
11. स्वीकृत निविदादाता की दरें स्वीकृत होने के पश्चात् प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर लगाये जाने वाले कामर्शियल वाहनों की सूची मय आवश्यक अभिलेखों सहित जिसमें ड्राईवर का लाईसेन्स भी सम्मलित हो विभाग को उपलब्ध कराना होगा न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा जमानत राशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा का अनुबन्ध भी वाहनो की सूची तथा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की दशा में ही किया जायेगा ।
12. स्थानीय निविदादाता को वरीयता दी जायेगी ।
13.. किसी भी कार्य दिवसों में वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा में उस दिन की दर से दुगनी कटौती विभाग द्वारा की जायेगी जो निविदादाता को मान्य होगी ।
14. अनुबन्धित वाहन मुख्यालय स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर आवश्यकता पछने पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है जिसे निविदादाता द्वारा तत्काल उपलब्ध कराना होगा तथा उपलब्ध न कराने की स्थित में उस दिन की दर से कटौती की जायेगी ।
15. जिला स्वास्थ्य समिति को किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी निविदादाता का कोई भी प्रत्यावेदन मान्य नही होगा, निविदा मामले में उत्पन्न किसी भी विवाद पर जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अन्तिम होगा, जिस पर मा0न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। सर्शत निविदा स्वीकार नही होगी ।

मेरे द्वारा सभी शर्तो को पढ लिया गया है ।

Ashok Sinha
निविदादाता के हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली
CHIEF MEDICAL OFFICER
RAE BARELI (U.P.)

| Supportive Supervision Vehicle Hiring District Level Information 2017-18 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sl.No.** | **Name of District** | **Name of Agreement signing officer** | **Vehicle No-1** | **Date of Hiring** | **Vehicle No-2** | **Date of Hiring** | **Agreement copy attached** |
| 1 | Raebareli | Dr. Rakesh Kumar | UP33AJ-0038 | 01.09.2016 | UP33AJ-0037 | 01.09.2016 | Attached |

Add.Chief Medical Officer
Raebareli .

Chief Medical Officer
Raebareli

| Supportive Supervision Vehicle Hiring Block Wise Information 2017-18 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl.No. | Name of Division | Name of District | Block Name | Vehicle No-1 | Date of Hiring | Agreement copy attached |
| 1 | Lucknow | Raebareli | Shivgarh | UP33AA9239 | 01.09.2016 | Copy Attached |
| 2 | | | Bachrwan | UP33EN-4851 | 01.09.2016 | |
| 3 | | | Mahrajganj | UP33T-9814 | 01.09.2016 | |
| 4 | | | Harchandpur | UP33AT-2611 | 01.09.2016 | |
| 5 | | | Amwan | U41AT-2118 | 01.09.2016 | |
| 6 | | | Deeh | UP33AC-7048 | 01.09.2016 | |
| 7 | | | Naseerabad | UP33Z-3900 | 01.09.2016 | |
| 8 | | | Salon | UP33AT-3892 | 01.09.2016 | |
| 9 | | | Unchahaar | UP33Y-8921 | 01.09.2016 | |
| 10 | | | Jagatpur | UP33AT-6714 | 01.09.2016 | |
| 11 | | | Belabhela | UP33AT-6959 | 01.09.2016 | |
| 12 | | | Jatuatappa | UP33AF-5424 | 01.09.2016 | |
| 13 | | | Dalmau | UP33T-2009 | 01.09.2016 | |
| 14 | | | Lalganj | UP33AT-5044 | 01.09.2016 | |
| 15 | | | Kheeron | UP33AK-6509 | 01.09.2016 | |
| 16 | | | Sareni | UP33AK-6509 | 01.09.2016 | |

Add.Chief Medical Officer
Raebareli .

Chief Medical Officer
Raebareli

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रायबरेली ।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ ।

पत्रांकः—मु0चि0अ0 / वाहन / 2017—18 / 9847 दिनांक—07 दिसम्बर,2017

विषयः—जनपद में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत मानीटरिंग सुपरविजन हेतु किराये पर लिये गये कामर्शियल वाहनो की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0एण्ड0ई0 / 2017—18 / 01 दिनांक—11.08.2017 के द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आपके पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है ।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रायबरेली ।

पत्रांकः—मु0चि0अ0 / अनु0आख्या0 / 2017—18 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक,चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐंएउ0प्र0 लखनऊ ।
2. अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एंव प0क0 लखनऊ मण्डल लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी रायबरेली ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रायबरेली ।